सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-6399/MH/41/2025-RU-I **दिनांक: 30.06.2026**

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-पालघर,
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,
पालघर-बोईसर रोड, कोलगांव,
पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल:collector.palghar@maharashtra.gov.in

विषय: मुंबई कुलवहीवाट एवं शेतजमीन अधिनियम, 1948 की धारा 16, 17, 17A, 17B एवं 18 के अंतर्गत आवेदक के घर एवं भूमि के अभिलेख पंजीकरण हेतु श्री संजय विष्णू मानकर, निवासी- रुइभाट वाड़ी, मिलगाव, वसई (पश्चिम), तालुका-वसई, जिला-पालघर, महाराष्ट्र-401201 का दिनांक 04.11.2025 को प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 15.12.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 20.07.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

श्री संजय विष्णू मानकर,
निवासी- रुइभाट वाड़ी, मिलगाव,
वसई (पश्चिम), तालुका-वसई,
जिला-पालघर, महाराष्ट्र-401201
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।